न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 57/2018 (उदयपुर आर्डर)

1. केवा पिता लाला जी डांगी, निवासी सदड़ो, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
2. खेमा पिता धूला जी डांगी, निवासी सेदड़ी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. प्रतापपुरी पिता मानपुरी जी गुसाई, निवासी सेदड़ी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती हुरजबाई पिता रेवतपुरी जी गुसाई, निवासी सेदड़ी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
3. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर दि0 05–08–2016 प्रकरण संख्या 13/2010

——/——

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्टगण

2– श्री नरेन्द्र सोनी अभिभाशक रेस्पो. सं. 1, 2

3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

——::——

निर्णय दिनांक

11–09–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार ह कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत नियम 14 (4) कृशि भूमि आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सेदडी में आराजी नंबर 159 रकबा 9 बिस्वा भूमि स्थित है, जो किस्म जमीन रास्ता होकर प्रार्थीगण के खेतों में आने–जाने का एक मात्र यही रास्ता है, जो करीब 25–30 फिट चौड़ा है। इस रास्ते से ट्रक, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी आदि आते–जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस जमीन का किसी भी सूरत में आवंटन नहीं किया जा सकता। आवंटन पूर्व उद्घोशणा भी जारी नहीं हुई है तथा विपक्षी संख्या 1 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। दिनांक 12–01–2011 को विपक्षी संख्या 1 पहली बार मौके पर आये एवं एवं रास्ते की जमीन पर दीवार बनाने लगे तो प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि विपक्षी संख्या 1 ने पटवारी से मिलकर दिनांक 09–01–1977 को ही उक्त भूमि का आवंटन अन्य आराजी नंबर 160–160 के साथ ही करवा लिया। विवादित आराजी नंबर 159 रकबा 3 बिस्वा के हाल आराजी नंबर 1136 रकबा 0.0500 हैक्टर व आराजी नंबर 1140 रकबा 0.0300 हैक्टर बने हैं। अतः आवंटन निरस्त किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित आवंटन के 35 वर्श बाद द्वेशता पूर्वक यह प्रार्थना पत्र पे"ा किया है। आवंटित भूमि पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि विपक्षीगण उस पर फसले बोते काटते चले आ रहे हैं तथा काफी लागत लगाकर भूमि को विकसित किया ह। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 05–08–2016 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आं"िाक रूप से स्वीकार करते हुए साबिक आराजी नंबर 159 से बने हाल आराजी नंबर 1142 रकबा 0.0200 हैक्टर किस्त रास्ते की भूमि का आवंटन निरस्त किया तथा साबिक आराजी नंबर 159 से बने हाल आराजी नंबर 1136 रकबा 0.0500 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1140 रकबा 0.0300 हैक्टर आवंटन को बहाल रखा।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 05–08–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26–09–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सोनी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने कथित आवंटन धोखे से प्राप्त किया है। कथित आवंटन से पूर्व कोई प्रोक्लेमे''ान जारी नहीं किया गया है तथ आवंटन नियमों के विपरीत किया गया है। राजस्थान का''तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की भूमि का आवंटन किया ही नहीं जा सकता, न ही उसमें खातेदारी या गैर खातेदारी अधिकार ही दिये जा सकते हैं। विवादित भूमि आज दिन तक रास्ते के काम आ रही है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में सं''ाोधन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के हक में हुए सम्पूर्ण आवंटन को निरस्त किया जाकर भूमि पुनः रास्ता दर्ज करायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विवेचन किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने पत्रावली के अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में आराजी नंबर 159 रकबा 9 बिस्वा एवं आराजी नंबर 160–161 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा का आवंटन किया गया है तथा जमाबन्दी संख्या 2034 से 2037 अनुसार आराजी नंबर 160–161 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा की किस्त बारानी III तथा

आराजी नंबर 159 की 5 बिस्वा भूमि की किस्म रास्ता दर्ज है। तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट में साबिक आराजी नंबर 159 की 9 बिस्वा के हाल आराजी नंबर 1136 रकबा 0.0500 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1142 रकबा 0.0200 हैक्टर बनना तथा वर्तमान में आराजी नंबर 1136 रकबा 0.0500 हैक्टर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज होना तथा आराजी नंबर 1142 रकबा 0.0200 हैक्टर की किस्म रास्ता होना बताया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर साबिक आराजी नंबर 159 से बने हाल आराजी नंबर 1142 रकबा 0.0200 हैक्टर भूमि किस्म रास्ता का आवंटन निरस्त कर कब्जेधारियों/ खातेदारों को मौके से बेदखल करने का आदे"ा दिया है तथा साबिक आराजी नंबर 159 से बने हाल आराजी नंबर 1136 रकबा 0.0500 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1140 रकबा 0.0300 हैक्टर का विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखने का आदे"ा दिया है, जो उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होने से हम उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना आव"यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05–08–2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–09–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर